आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN L65190MH2004GOI148838

पंजीकृत कार्यालय - आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005
फोन-(022) 66552711 / 3147
ईमेल - idbiequity@idbi.co.in, वेबसाइट-www.idbibank.in

डाक मतपत्र सूचना

प्रिय सदस्य (सदस्यों),

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा दिनांक 28 दिसंबर 2022 को जारी सामान्य परिपत्र सं. 11/2022 व कोविड-19 संबंधित छूटों पर जारी पिछले परिपत्रों ("एमसीए परिपत्र") के साथ पठित एवं कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 एवं 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 और समय-समय पर संशोधित अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसार, साथ ही सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम") के लागू प्रावधानों, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा महा सभाओं पर जारी किए गए सचिवीय मानक ("एसएस -2") तथा वर्तमान में लागू व समय-समय पर यथा-संशोधित लागू कानूनों, नियमों और विनियमों (किसी भी वैधानिक संशोधन(नों), आशोधन(नों), भिन्नता(ओं) या पुनरधिनियमन सहित) के संबंध में इस सूचना में नीचे दिए गए विशेष कारोबारों का आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यों द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में मतदान के जरिए अनुमोदन करने का प्रस्ताव किया जाता है.

उक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, यह डाक मतपत्र सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से उन सदस्यों को भेजा जा रही है जिनके ई-मेल पते बैंक/ डिपॉजिटरियों के पास पंजीकृत हैं. सदस्यों की सहमति या असहमति का सम्प्रेषण रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ही होगा.

विशेष कारोबार

मद सं. 1: प्राधिकृत शेयर पूंजी में परिवर्तन तथा उसके परिणामस्वरूप बैंक के संस्था के बहिर्नियम के खंड V और संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 3 में संशोधन

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13,14,61 (1)(ई) तथा अन्य लागू उपबंधों, यदि कोई हों, तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों, बैंक के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 10(सी) के प्रावधान, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 {किसी भी वैधानिक संशोधन(नों), आशोधन(नों), परिवर्तन(नों), पुनरधिनियमन(नों) सहित} के अनुसरण में तथा भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') अथवा इसी प्रकार के अन्य सांविधिक अथवा विनियामकीय अनुमोदन(नों), मंजूरी(यों) और अनुमति(यों), जैसा अपेक्षित हो, के अधीन 10/- रुपये प्रत्येक मूल्य के 2500,00,00,000 (पच्चीस सौ करोड़) शेयरों में विभाजित 25000,00,00,000/- रुपये (पच्चीस हजार करोड़ रुपये) की बैंक की प्राधिकृत शेयर पूंजी को ऐसे शेयरों को निरस्त करते हुए जो किसी व्यक्ति को न तो जारी किए गए हैं, न ही लिए गए हैं अथवा लेने के लिए सहमति दी गई है, घटाकर 10/- रुपये प्रत्येक मूल्य के 2100,00,00,000 (इक्कीस सौ करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित 21000,00,00,000/- रुपये (इक्कीस हजार करोड़ रुपये) करने और बैंक की प्राधिकृत शेयर पूंजी को 4000,00,00,000/- रुपये (चार हजार करोड़ रुपये), जो 10/- रुपये के 400,00,00,000 (चार सौ करोड़) इक्विटी शेयरों का प्रतिनिधित्व करते है, की राशि तक कम करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त किया जाए और एतदद्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जाता है और उसके परिणामस्वरूप संस्था के बहिर्नियम के वर्तमान खंड V तथा संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 3 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए और एतदद्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:

<u>संस्था के बहिर्नियम का खंड V:</u>

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 21000,00,00,000/- रुपये (इक्कीस हजार करोड़ रुपये) होगी जो 10/- रुपये प्रत्येक के 2100,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित होगी.

IDBI BANK LIMITED

CIN L65190MH2004GOI148838

Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005,
Phone-(022) 66552711 / 3147
E-mail: idbiequity@idbi.co.in, Website: www.idbibank.in

POSTAL BALLOT NOTICE

Dear Member(s),

NOTICE IS HEREBY GIVEN that pursuant to Section 108 & 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rules 20 & 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended from time to time read with General Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022 and the previous circulars on COVID-19 related relaxations issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) applicable in this regard ("MCA Circulars"), applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and any other applicable law, rules and regulations (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereto, for the time being in force, and as amended from time to time), the special businesses given below in this notice are proposed for approval of the members of IDBI Bank Ltd. to be transacted through Postal Ballot only by way of voting through electronic means.

In compliance with the aforesaid MCA Circulars, this Postal Ballot Notice is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Bank/Depositories. The communication of assent or dissent of the Members would only take place through the remote e-voting system.

Special Business

Item No.1: Alteration in the Authorized Share Capital and consequent amendment to Clause V of the Memorandum of Association and <u>Article 3 of the Articles of Association of the Bank</u>

To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 13,14, 61(1)(e) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, the provisions of Article 10(c) of the Articles of Association of the Bank, applicable provisions of the Banking Regulation Act, 1949 {including any statutory modification(s) or reenactment(s) thereof for the time being in force} and subject to approval of the Reserve Bank of India ('RBI') or such other statutory or regulatory approval(s), sanction(s), and permission(s) as may be required, approval of the Members, be and is hereby accorded, to reduce the Authorised Share Capital of the Bank from Rs.25000,00,00,000/- (Rupees Twenty Five Thousand Crore) divided into 2500,00,00,000 (Twenty Five Hundred Crore) equity shares of Rs.10/- each to Rs.21000,00,00,000/- (Rupees Twenty One Thousand Crore) divided into 2100,00,00,000 (Twenty One Hundred Crore) equity shares of Rs.10/- each by cancelling shares, which have not been issued, taken or agreed to be taken by any person and diminishing the amount of Authorised Share Capital of the Bank by an amount of Rs.4000,00,00,000/- (Rupees Four Thousand Crore) representing 400,00,00,000 (Four Hundred Crore) equity shares of Rs.10/- each and consequently the existing Clause V of the Memorandum of Association and Article 3 of the Articles of Association of the Bank be and is hereby substituted with the following:

<u>Clause V of the Memorandum of Association:</u>

The Authorised share capital of the company shall be Rs.21000,00,00,000/- (Rupees Twenty One Thousand Crore Only) divided into 2100,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each.

संस्था के अंतर्नियम का अनुच्छेद 3:

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 21000,00,00,000/- रुपये (इक्कीस हजार करोड़ रुपये) होगी जो 10/- रुपये प्रत्येक के 2100,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित होगी.

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बैंक के निदेशक मंडल को उपर्युक्त के संबंध में सांविधिक, संविदात्मक अथवा अन्यथा, अनुमोदनों को प्राप्त करने के लिए इसमें उसे प्रदत्त सभी अथवा किसी शक्ति को बैंक के किसी निदेशक (कों), कंपनी सचिव अथवा किसी अन्य वरिष्ठ कार्यपालक (कों) को प्रत्यायोजित करने सहित आवश्यक होने वाली कार्रवाई करने तथा उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन हेतु और उससे जुड़े अन्य किसी प्रासंगिक मामले के संबंध में आवश्यक, उचित, समीचीन अथवा वांछनीय होने वाले सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है."

मद सं. 2: श्री सुरेश किशनचंद खटनहार (डीआईएन: 03022106) की बैंक के उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) के रूप में पुनर्नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना :

"**संकल्प किया जाता है कि** बैंक के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 116(1)(iii) और (vii) के अनुसरण में तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी के प्रासंगिक प्रावधानों और यथा संशोधित अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी नियमों, दिशा-निर्देशों और परिपत्रों, सेबी सूचीबद्धता (लिस्टिंग) विनियम के विनियम 17(1सी) व अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160, 196, 197, 203 और अनुसूची V के यथा संशोधित प्रावधानों तथा इसके तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों (अधिनियम) और कोई अन्य लागू कानून (किसी भी वैधानिक संशोधन(नों), आशोधन(नों), परिवर्तन(नों), पुनरधिनियमन(मों) सहित, जो फिलहाल लागू है) के अनुसरण में तथा बैंक की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) और बैंक के निदेशक मंडल की सिफारिश, के अनुसरण एतदद्वारा श्री सुरेश किशनचंद खटनहार (डीआईएन: 03022106) की बैंक के उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) के रूप में आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी, रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 22 दिसंबर 2022 के अपने पत्र द्वारा और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 28 दिसंबर 2022 को अनुमोदित किए अनुसार 15 जनवरी 2023 से एक वर्ष के लिए पोस्टल बैलेट नोटिस के इस संकल्प के व्याख्यात्मक विवरण में उल्लिखित पारिश्रमिक सहित ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर प्रभावी होने वाली पुनर्नियुक्ति को बैंक के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाए और एतदद्वारा अनुमोदित किया जाता है."

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बैंक के कंपनी सचिव को इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए संवैधानिक/ विनियामक प्राधिकारियों के समक्ष अपेक्षित फॉर्मों या आवेदनों को दाखिल करने हेतु आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे सभी करार, दस्तावेज़ लिखत और लेखन, और आवश्यक और उचित समझे जाने वाले ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है."

बोर्ड के आदेश से
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

ज्योति बीजू नायर
कंपनी सचिव
सदस्यता सं : ए 20554

स्थान: मुंबई
दिनांक: 30 दिसंबर 2022

पंजीकृत कार्यालय :
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
CIN: L65190MH2004GOI148838
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई - 400 005.

Article 3 of the Articles of Association:

The Authorised share capital of the company shall be Rs.21000,00,00,000/- (Rupees Twenty One Thousand Crore Only) divided into 2100,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized, to take such steps as may be necessary including the delegation of all or any of its powers herein conferred to any Director(s), the Company Secretary or any other senior executive(s) of the Bank for obtaining approvals, statutory, contractual or otherwise, in relation to the above and to do all such acts, deeds, matters and things that may be necessary, proper, expedient or desirable for the purpose of giving effect to the aforesaid resolutions and in connection with any matter incidental thereto."

Item No.2: Re-appointment of Shri Suresh Kishinchand Khatanhar (DIN: 03022106) as Deputy Managing Director (DMD)

To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to Article 116(1)(iii) and (vii) of the Articles of Association of the Bank, relevant provisions of Section 35B and other applicable provisions, if any, of the Banking Regulation Act, 1949, as amended and the rules, guidelines and circulars as issued by the Reserve Bank of India (RBI) in this regard, from time to time, provisions of Sections 160, 196, 197, 203 and Schedule V of the Companies Act, 2013 as amended, read with the relevant rules made thereunder and Regulation 17(1C) and other applicable provisions of the SEBI Listing Regulations and any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force) and pursuant to recommendation by the Nomination and Remuneration Committee (NRC) and the Board of Directors of the Bank, approval of members of the Bank, be and is hereby accorded to the re-appointment of Shri Suresh Kishinchand Khatanhar (DIN: 03022106) as Deputy Managing Director (DMD) of the Bank, liable to retire by rotation, for a period of one year commencing from January 15, 2023 as approved by the RBI vide their letter dated December 22, 2022 and by the Board of Directors of the Bank on December 28, 2022, on such terms and conditions including remuneration as set out in the explanatory statement to this resolution of the Postal Ballot Notice."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Company Secretary of the Bank be and is hereby authorized to execute all such agreements, documents, instruments and writings as deemed necessary, to file requisite forms or applications with statutory/regulatory authorities and to do all such acts, deeds, matters and things as may be considered necessary and appropriate to give effect to this Resolution."

By Order of the Board
For IDBI Bank Limited

Jyothi Biju Nair
Company Secretary
Membership No. : A20554

Place: Mumbai
Date : December 30, 2022

Registered Office:
IDBI Bank Limited
CIN: L65190MH2004GOI148838
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005.

टिप्पणियां :

- डाक मतपत्र सूचना में निर्दिष्ट विशेष कारोबार के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न हैं.
- एमसीए परिपत्रों के अनुसार बैंक यह डाक मतपत्र सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेज रहा है. तदनुसार, सदस्यों की सहमति या असहमति का संप्रेषण रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से ही होगा.
- यह डाक मतपत्र सूचना केवल बैंक के ऐसे सदस्यों को ईमेल के माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) से शुक्रवार, 23 दिसंबर 2022 की कट-ऑफ तारीख को प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर/ लाभार्थी मालिकों की सूची में हैं. कोई भी व्यक्ति,जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं, उन्हें इस डाक मतपत्र सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए. डाक मतपत्र सूचना उन सभी शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाती है, जिन्होंने बैंक/ डिपॉजिटरीज/ रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत कराए हैं. यह बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in पर, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (केफिंटेक/ आरटीए) की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध होगी.
- कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियम) के नियम 20 और 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और 110 और संबंधित एमसीए परिपत्रों के अनुसार, इस डाक मतपत्र सूचना में निहित विशेष कारोबारों की मद को पोस्टल बैलेट - रिमोट ई-वोटिंग द्वारा ही पारित किया जाना है.
- सदस्यों के वोटिंग अधिकार 23 दिसंबर 2022 की कट-ऑफ तारीख को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे, जो आरबीआई द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम (बी. आर. एक्ट), 1949 की धारा 12(2) के अनुसार प्रदान किए गए वोटिंग कैप प्रतिबंधों के अधीन होंगे.
- बैंक इलेक्ट्रोनिक पद्धति से अपने मतदान करने की इच्छा रखने वाले सदस्यों के लिए केफ़िंटेक की ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रहा है. ई-वोटिंग सुविधा **सोमवार, 02 जनवरी 2023 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) से शुरू होगी और मंगलवार, 31 जनवरी 2023 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) बंद कर दी जाएगी.** सदस्यों द्वारा संकल्प पर एक बार अपना मतदान किए जाने के बाद इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
- बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से डाक मतपत्र मतदान संचालित करने के लिए प्रैक्टिसरत कंपनी सेक्रेटरीज मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी की सुश्री अपर्णा गाडगिल को और उनकी अनुपस्थिति में श्री विश्वनाथन एन. एस. को संवीक्षक नियुक्त किया है.
- डाक मतपत्र के परिणाम एमडी एवं सीईओ द्वारा दिनांक 02 फरवरी 2023 को या उससे पहले घोषित कर दिए जाएंगे तथा इसे बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 और 22 के अनुसार केफ़िंटेक की वेबसाइट https://evoting.Kfintech.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा.
- संकल्प यदि अपेक्षित बहुमत से अनुमोदित कर दिया जाता है तो इसे 31 जनवरी 2023 को पारित माना जाएगा जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्दिष्ट अंतिम तारीख है.

क) रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और अनुदेश :

I. <u>वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए जिनके पास डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ हैं</u>

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जा रही ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के दिनांक 09 दिसंबर 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट रूप में बैंक का शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास खोले गए डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति होगी. शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने डीमैट खाते में मोबाइल नंबर और ईमेल पते अद्यतन करें.

NOTES:

- The Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013, in respect of the special businesses specified in the Postal Ballot Notice is annexed hereto.
- In accordance with the MCA Circulars, the Bank is sending this Postal Ballot Notice in electronic form only. Accordingly, the communication of the assent or dissent of the Members would take place through the remote e-voting system only.
- The Postal Ballot Notice is being sent via email only to the Members of the Bank, whose names appear on the Register of Members/list of Beneficial Owners, as received from National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) on Friday, December 23, 2022 the cut-off date. Any person, who is not a Member as on the cut-off date, should treat this Postal Ballot Notice for information purposes only. The Postal Ballot Notice is sent electronically to all the shareholders who have registered their email addresses with the Bank/Depositories/Registrar and Transfer Agent (RTA). The same will also be available on the Bank's website www.idbibank.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of KFin Technologies Limited (Kfintech/RTA) at https://evoting.kfintech.com
- In terms of Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) and the relevant MCA Circulars, the Item of Special Businesses set out in this Postal Ballot Notice is sought to be passed by Postal Ballot - remote e-voting only.
- The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of December 23, 2022 subject to voting cap restrictions provided by RBI in terms of Section 12(2) of the B.R. Act, 1949
- The Bank is providing Kfintech's e-voting facility to enable those Members who wish to cast their votes electronically. The e-voting commences on **Monday, January 02, 2023 at 9:00 AM IST and ends on Tuesday, January 31, 2023 at 5.00 PM IST.** Once the vote on the Resolutions is cast by the Members, the Members shall not be allowed to change it subsequently.
- The Bank has appointed Ms. Aparna Gadgil and in her absence Mr. Viswanathan N. S. of M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- The result of the Postal Ballot shall be declared by MD & CEO on or before February 02, 2023 and will be displayed on the Bank's website at www.idbibank.in and shall also be displayed on the website of Kfintech at https://evoting.kfintech.com in terms of Rules 20 and 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014.
- The resolutions, if approved by the requisite majority, shall be deemed to have been passed on January 31, 2023 i.e., the last date specified for remote e-voting.

a) PROCEDURE AND INSTRUCTIONS FOR REMOTE E-VOTING:

I. <u>FOR INDIVIDUAL SHAREHOLDERS HOLDING SECURITIES IN DEMAT</u>

In terms of the SEBI circular dated 9th December, 2020 on e-voting facility provided by listed companies, Individual shareholders holding shares of the Bank in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email id in their demat accounts in order to access e-voting facility.

डीमैट रूप में बैंक का शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयर धारकों के लिए लॉगिन पद्धति, जैसाकि डिपॉजिटरियों द्वारा तैयार की गई है, नीचे दी जा रही है:

एनएसडीएल	सीडीएसएल
1. यूज़र जो एनएसडीएल की IDeAS सुविधा के लिए पहले से ही पंजीकृत हैं : i. ब्राउज़र में टाइप करें/ई-सर्विस लिंक पर क्लिक करें: https:// eservices.nsdl.com ii. 'IDeAS' सेक्शन के अंतर्गत 'Beneficial Owner' पर क्लिक करें. iii. एक नया पेज खुलेगा. अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करें. सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद 'Value Added Services' के अंतर्गत 'Access to e-Voting' पर क्लिक करें iv. ई-वोटिंग के अंतर्गत 'Active E-Voting Cycles' ऑप्शन पर क्लिक करें. v. आईडीबीआई बैंक के नाम पर या ई-वोटिंग सर्विस प्रदाता ('केफिंटेक') पर क्लिक करें तथा इसके बाद आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने के लिए सेवा प्रदाता, अर्थात केफ़िंटेक के वोटिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे. अब आप बिना किसी और अधिप्रमाणन के अपना मतदान कर सकते है.	**1. यूज़र जो सीडीएसएल की Easi/Easiest सुविधा के लिए पहले से ही पंजीकृत हैं :** i. ब्राउज़र में टाइप करें/निम्नलिखित में से किसी भी लिंक पर क्लिक करें : https://web.cdslindia.com/ myeasi/home/login or www.cdslindia.com ii. New System Myeasi पर क्लिक करें / Quick Login के अंतर्गत My Easi ऑप्शन लॉगिन करें. iii. Easi/Easiest एक्सेस के लिए अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करें. iv. आईडीबीआई बैंक के नाम पर या ई-वोटिंग सर्विस प्रदाता ('केफिंटेक') पर क्लिक करें तथा इसके बाद आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मत देने के लिए सेवा प्रदाता, अर्थात् केफ़िंटेक के वोटिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे. अब आप बिना किसी और अधिप्रमाणन के अपना मतदान कर सकते हैं.
2. यूज़र जो एनएसडीएल की IDeAS ई-सर्विस सुविधा के लिए पंजीकृत नहीं हैं : i. पंजीकरण के लिए ब्राउज़र में निम्नलिखित कोई भी ई-सर्विस लिंक टाइप करें/ किसी भी पर क्लिक करें : https://eservices.nsdl.com या https://eservices.nsdl.com/ SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp ii. 'Register Online for IDeAS' सिलेक्ट करें. iii. अपने डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी, मोबाइल नंबर और अन्य अपेक्षित ब्योरे प्रदान करते हुए अपना पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें. iv. सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद, अपना मतदान करने के लिए उपर्युक्त पैरा 1 के अंतर्गत उल्लिखित चरणों का पालन करें.	**2. यूज़र जो सीडीएसएल की आईडीईएएस Easi/Easiest सुविधा के लिए पंजीकृत नहीं हैं :** i. पंजीकरण के लिए ब्राउज़र में निम्नलिखित टाइप करें/ इस लिंक पर क्लिक करें : :https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration ii. अपने डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी, मोबाइल नंबर और अन्य अपेक्षित ब्योरे प्रदान करते हुए अपना पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें. iii. सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद, अपना मतदान करने के लिए उपर्युक्त पैरा 1 के अंतर्गत उल्लिखित चरणों का पालन करें.
3. विकल्प के तौर पर, यूज़र सीधे एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हैं : i. ब्राउज़र में निम्नलिखित लिंक टाइप करें/ इस पर क्लिक करें : https:// www.evoting.nsdl.com/ ii. 'Shareholder/Member' सेक्शन में उपलब्ध आइकॉन 'Login' पर क्लिक करें. iii. यूज़र आईडी (अर्थात IN के साथ शुरू होने वाले एनएसडीएल के पास धारित 16 अंकीय डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी	**3. विकल्प के तौर पर, यूज़र सीधे सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हैं :** I. ब्राउज़र में निम्नलिखित लिंक टाइप करें/ इन पर क्लिक करें : www.cdslindia.com. ii. E-Voting पर क्लिक करें तथा अपने डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी और पैन एंटर करें. iii. सिस्टम डीमैट खाते में उपलब्ध कराए गए अनुसार पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेज कर यूज़र को अधिप्रमाणित करेगा.

Login method for Individual shareholders holding shares in demat mode, as devised by the Depositories, is given below:

NSDL	CDSL
1. User already registered for IDeAS facility of NSDL: i. Type in the browser / click on the e-Services link: https:// eservices.nsdl.com ii. Click on the 'Beneficial Owner' icon under 'IDeAS' section. iii. A new page will open. Enter your User ID and Password. Post successful authentication, click on 'Access to e-Voting' under 'Value Added Services'. iv. Click on 'Active E-Voting Cycles' option under e-Voting. v. Click against IDBI Bank's name or e-Voting service provider (Kfintech) and you will be re-directed to e-Voting page of service provider i.e. Kfintech for casting the vote during the remote e-Voting period. You can now cast your vote without any further authentication.	**1. User already registered for Easi/Easiest facility of CDSL:** i. Type in the browser / click on any of the following links: https://web.cdslindia.com/ myeasi/home/login or www.cdslindia.com ii. Click on New System Myeasi / Login to My Easi option under Quick Login. iii. Enter your User ID and Password for assessing Easi / Easiest. iv. Click against IDBI Bank's name or e-Voting service provider ('Kfintech') and you will be re-directed to e-Voting page of service provider i.e. Kfintech for casting the vote during the remote e-Voting period. You can now cast your vote without any further authentication.
2. User not registered for IDeAS e-Services facility of NSDL: i. To register type in the browser /click on, any of the following e-Service link: https://eservices.nsdl.com Orhttps://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp ii. Select 'Register Online for IDeAS' iii. Proceed to complete your registration using your DP ID, Client ID, Mobile number and other required details. iv. After successful registration, follow the steps mentioned under Para 1 above to cast your vote.	**2. User not registered for Easi/Easiest facility of CDSL:** i. To register type in the browser /click on the following link: https://web.cdslindia.com/ myeasi/Registration/EasiRegistration ii. Proceed to complete your registration using your DP ID, Client ID, Mobile number and other required details. iii. After successful registration, follow the steps mentioned under Para 1 above to cast your vote.
3. Alternatively, User may directly access the e-Voting website of NSDL: i. Type in the browser /click on the following link: www.evoting.nsdl.com ii. Click on the icon 'Login' which is available under 'Shareholder/Member' section. iii. Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL starting with IN), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.	**3. Alternatively, User may directly access the e-Voting website of CDSL:** i. Type in the browser /click on the following link: www.cdslindia.com. ii. Click on E-Voting and enter your DP ID & Client ID and PAN. iii. System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account. iv. After successful authentication, you will

एनएसडीएल	सीडीएसएल
तथा स्क्रीन पर दर्शाए गए अनुसार सत्यापन कोड इंटर करें. iv. सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद, आप एनएसडीएल वेबसाइट के ई-वोटिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएगे. v. ई-वोटिंग के अंतर्गत 'Active E-Voting Cycles / VC or OAVMs' ऑप्शन पर क्लिक करें. आईडीबीआई बैंक के नाम पर या ई-वोटिंग सर्विस प्रदाता ('केफिंटेक') पर क्लिक करें तथा इसके बाद आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने के लिए सेवा प्रदाता, अर्थात केफ़िंटेक के वोटिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे. अब आप बिना किसी और अधिप्रमाणन के अपना मतदान कर सकते है.	iv. सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद, आप सीएसडीएल के ई-वोटिंग मॉड्यूल को एंटर करेंगे. v. आईडीबीआई बैंक के नाम पर या ई-वोटिंग सर्विस प्रदाता ('केफिंटेक') पर क्लिक करें तथा इसके बाद आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने के लिए सेवा प्रदाता, अर्थात केफ़िंटेक के वोटिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे. अब आप बिना किसी और अधिप्रमाणन के अपना मतदान कर सकते है.

शेयरधारक जो यूजर आईडी/ पासवर्ड रिट्रीव करने में असमर्थ हैं उनको सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध ऑप्शन Forget User ID और Forget Password का उपयोग करें.

एनएसडीएल से संपर्क करने के ब्योरे –शेयरधारकों को किसी प्रकार की तकनीकी समस्या होने के मामले में :	**सीडीएसएल से संपर्क करने के ब्योरे – शेयरधारकों को किसी प्रकार की तकनीकी समस्या होने के मामले में:**
लॉगिन करने में किसी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य अपना अनुरोध evoting@nsdl.co.in पर भेज कर या टोल फ्री नंबर : 1800 1020 990 या 1800 22 44 30 कॉल कर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते है.	लॉगिन करने में किसी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य अपना अनुरोध helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भेजकर या 022-23058738 अथवा 022- 23058542-43 पर कॉल कर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं.

अपने डीमैट खाते/ डिपॉज़िटरी सहभागियों के वेबसाइट के माध्यम से लॉगिन करने के लिए वैयक्तिक शेयरधारकों (डीमैट रूप में शेयर रखने वाले) हेतु प्रक्रिया

I. आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपॉज़िटरी सहभागियों के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए लॉगिन कर सकते हैं.
ii. सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग ऑप्शन देख पाएंगे. एक बार e-voting ऑप्शन पर क्लिक करते ही सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद आप एनएसडीएल/ सीडीएसएल डिपॉज़िटरी साइट पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां आपको ई-वोटिंग फीचर दिखाई पड़ेगा.
iii. बैंक के नाम पर या ई-वोटिंग सर्विस प्रदाता के नाम पर क्लिक करें तथा इसके बाद आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान बिना किसी और अधिप्रमाणन के अपना मतदान करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे.

<u>II. गैर वैयक्तिक शेयरधारक तथा भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए</u>

गैर वैयक्तिक शेयरधारक तथा भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति नीचे दी जा रही है :

यदि शेयरधारक आईडीबीआई बैंक/ केफ़िंटेक ईमेल प्राप्त करता है [उन शेयरधारकों के लिए जिनके ईमेल पते बैंक/ डिपॉज़िटरी सहभागी (यों) के पास पंजीकृत हैं] :

i. यूआरएल : https:// evoting.kfintech.com टाइप करते हुए एंटरनेट ब्राउजर लांच करें.
ii. ईमेल पत्राचार में उल्लेख किए गए अनुसार लॉगिन क्रेडेंशियल (अर्थात् यूजर- आईडी और पासवर्ड) एंटर करें. ई-वोटिंग इवेंट नंबर और आपका फोलियो नंबर या आपका डीपी आईडी-क्लाइंट आईडी आपका यूजर-आईडी होगा.

NSDL	CDSL
iv. Post successful authentication, you will be redirected to e-Voting page on NSDL website. v. Click on 'Active E-Voting Cycles / VC or OAVMs' option under e-Voting. Click against IDBI Bank's name or e-Voting service provider ('Kfintech') and you will be re-directed to e-Voting page of service provider i.e. Kfintech for casting the vote during the remote e-Voting period. You can now cast your vote without any further authentication.	enter e-voting module of CDSL. v. Click against IDBI Bank's name or e-Voting service provider ('Kfintech') and you will be re-directed to e-Voting page of service provider i.e. Kfintech for casting the vote during the remote e-Voting period. You can now cast your vote without any further authentication.

Shareholders who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned websites.

Contact details of NSDL – In case shareholders face any technical issue:	**Contact details of CDSL – In case shareholders face any technical issue :**
Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30.	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 or 022- 23058542-43.

Procedure for Individual Shareholders (holding securities in demat mode) to login through their demat accounts / website of their Depository Participants

i. You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-voting facility.

ii. After successful login, you will be able to see e-voting option. Once you click on e-voting option, you will be redirected to NSDL/ CDSL depository site after successful authentication, wherein you can see e-voting feature.

iii. Click on the Bank's name or e-voting service provider's name and you will be redirected to e-voting service provider's website for casting your vote during the remote e-voting period without any further authentication.

<u>II. FOR NON-INDIVIDUAL SHAREHOLDERS AND SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN PHYSICAL FORM</u>

Login method for non-individual shareholders and shareholders holding shares in physical form are given below:

In case a shareholder receives an e-mail from IDBI Bank / Kfintech [for shareholders whose e-mail addresses are registered with the Bank / Depository Participant(s)]:

i. Launch internet browser by typing the URL https://evoting.kfintech.com

ii. Enter the login credentials (i.e., user-id and password) mentioned in the email communication. The e-Voting Event Number and your Folio Number or your DP ID - Client ID will be your User- ID.

यूज़र-आईडी : डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए :
एनएसडीएल के लिए : IN से शुरू 8 कैरेक्टर वाला डीपी आईडी तथा उसके बाद 8 अंकीय क्लाइंट आईडी
सीडीएसएल के लिए : 16 अंकीय लाभार्थी आईडी

यूज़र-आईडी : भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए :
ईवेन नंबर तथा उसके बाद आईडीबीआई बैंक / आरटीए के पास पंजीकृत फोलियो नंबर.
पासवर्ड : आपका यूनिक पासवर्ड इलेक्ट्रॉनिक नोटिस के साथ ईमेल द्वारा भेजा जाता है.
कैप्चा : कृपया सत्यापन कोड एंटर करें, अर्थात् सुरक्षा कारणों से अक्षर और संख्याएं ठीक उसी रूप में जैसाकि वे प्रदर्शित की गई हैं.

iii. उपयुक्त रूप से ये ब्योरे एंटर करने के बाद 'LOGIN' पर क्लिक करें.

iv. यदि आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो अब आप पासवर्ड चेंज मेनू पर पहुंचेंगे जहां आपको अनिवार्य रूप से अपना पासवर्ड चेंज करना होगा. नया पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होगा जिसमें कम से कम एक अपर केस (A से Z), एक लोअर केस (a से z) एक न्यूमेरिक वैल्यू (0-9) और एक स्पेशल कैरेक्टर (@, #, $, आदि) होंगे. पहली बार लॉगिन करने पर सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने तथा अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जैसे ब्योरे अपडेट करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा.

पासवर्ड भूल जाने कि स्थिति में उसे फिर से रिट्रीव करने के लिए आप अपने पसंद के गोपनीय प्रश्न और उत्तर भी एंटर कर सकते हैं. यह पुरज़ोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर न करें तथा अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें.

v. आपको नए क्रेडेंशियल के साथ फिर से लॉगिन करने की जरूरत है.

vi. सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद सिस्टम आपको ई-वोटिंग इवेंट नंबर 'EVEN', अर्थात IDBI Bank चुनने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा.

vii. वोटिंग पेज पर आप संकल्प संबंधी विवरण देख पाएंगे और उसके सामने वोटिंग के लिए 'FOR / AGAINST / ABSTAIN' ऑप्शन रहेगा. 'FOR / AGAINST' के अंतर्गत यथा कट ऑफ तारीख को शेयरों की संख्या (जो आपके मतदान की संख्या प्रदर्शित करता है) एंटर करें या विकल्प के तौर पर आप 'FOR' के लिए कोई भी आंशिक नंबर और 'AGAINST' के लिए कोई भी आंशिक नंबर एंटर कर सकते हैं, लेकिन 'FOR / AGAINST' के लिए कुल संख्या मिल कर कट ऑफ तारीख को आपकी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए. आप 'ABSTAIN' का विकल्प भी चुन सकते हैं. यदि शेयरधारक 'FOR' या 'AGAINST' में से कोई भी नहीं चुनते हैं तो इसे 'ABSTAIN' माना जाएगा और धारित शेयरों को दोनों में से किसी भी हेड के अंतर्गत नहीं माना जाएगा.

viii. एकाधिक फोलियो/ डीमैट खाते वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/ डीमैट खाते के लिए अलग-अलग वोटिंग प्रक्रिया को चुनेंगे.

ix. इसके बाद आप उपयुक्त ऑप्शन चुन कर अपना वोट दें तथा 'Submit' पर क्लिक करें.

x. एक पुष्टीकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा. पुष्टि करने के लिए 'OK' पर क्लिक करें या आशोधित करने के लिए 'CANCEL' पर क्लिक करें. एक बार पुष्टि करने के बाद आपको अपने मतदान में आशोधन की अनुमति नहीं होगी. वोटिंग अवधि के दौरान, संकल्प(पों) पर वोट करने के पहले तक शेयरधारक कितनी बार भी लॉगिन कर सकते हैं.

कट ऑफ तारीख को भौतिक रूप में शेयर रखने वाले कोई व्यक्ति और गैर-वैयक्तिक सदस्य evoting@Kfintech.com पर अनुरोध भेज कर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं. तथापि, यदि वे रिमोट ई-वोटिंग के लिए केफ़िंटेक के पास पहले से ही पंजीकृत हैं तो वे अपने वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग मतदान के लिए कर सकते हैं/कर सकती हैं.

अपना मतदान करने के लिए II (i) से (x) में दिए गए अनुदेश का अनुसरण करें.

III. <u>संकल्पों पर मतदान करने के लिए शेयरधारकों को सामान्य अनुदेश/ जानकारी:</u>

I. कॉरपोरेट/ संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की सत्यापित स्कैन प्रति (पीडीएफ फॉर्मेट) scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी प्रति einward.ris@Kfintech.com और idbiequity@idbi.co.in को भेजें.

ii. किसी प्रकार की पूछताछ के मामले में कृपया 'Downloads' सेक्शन में

User - ID: For shareholders holding shares in Demat form:
For NSDL: 8 Character DP ID starting with IN followed by 8 Digits
Client ID for CDSL: 16 digits beneficiary ID

User - ID: For shareholders holding shares in Physical Form:
EVEN number followed by Folio No. registered with IDBI Bank / RTA.
Password: Your unique password is sent via e-mail forwarded through the electronic notice.
Captcha: Please enter the verification code i.e. the alphabets and numbers in the exact way as they are displayed for security reasons.

iii. After entering these details appropriately, Click on 'LOGIN'.

iv. If you are logging in for the first time, you will now reach password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character (@, #, $, etc.). The system will prompt you to change your password and update your contact details like mobile number, email ID, etc. on first login.

You may also enter a secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended that you do not share your password with any other person and that you take utmost care to keep your password confidential.

v. You need to login again with the new credentials.

vi. On successful login, the system will prompt you to select the E-Voting Event Number 'EVEN' i.e., IDBI Bank.

vii. On the voting page you will see Resolution Description and against the same the option 'FOR / AGAINST / ABSTAIN' for voting. Enter the number of shares (which represents the number of votes) as on the cut-off date under 'FOR / AGAINST' or alternatively, you may partially enter any number in 'FOR' and partially in 'AGAINST' but the total number in 'FOR / AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN'. If the shareholder does not indicate either 'FOR' or 'AGAINST' it will be treated as 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.

vii. Shareholders holding multiple folios / demat accounts shall choose the voting process separately for each folios / demat accounts.

ix. You may then cast your vote by selecting an appropriate option and click on 'Submit'.

x. A confirmation box will be displayed. Click 'OK' to confirm else 'CANCEL' to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the resolution(s).

Any person holding shares in physical form and non- individual members as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@kfintech.com. However, if he / she is already registered with Kfintech for remote e-voting then he /she can use his / her existing User ID and password for casting the vote.

Follow the instructions at II (i) to (x) to cast your vote.

III. <u>GENERAL INSTRUCTIONS / INFORMATION TO SHAREHOLDERS FOR VOTING ON THE RESOLUTIONS:</u>

i. Corporate/Institutional Members (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned certified true copy (PDF Format) of the Board Resolution/Authority Letter etc., to the Scrutinizer at scrutinizer@snaco.net with a copy marked to einward.ris@kfintech.com and idbiequity@idbi.co.in

ii. In case of any queries, please visit 'Help' and 'Frequently Asked Questions' (FAQs) section / E- voting user manual available through a dropdown menu in the 'Downloads' section available at

ड्रॉपडाउन मेनू के माध्यम से उपलब्ध 'Help' और 'Frequently Asked Questions' (FAQs) सेक्शन/E-voting user manual देखें जो आरटीए की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर उपलब्ध है या टोल फ्री नंबर 1800 309 4001 पर कॉल करें. ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत को श्री एस. वी. राजू, उप महा प्रबंधक को ईमेल आईडी einward.ris@Kfintech.com या evoting@Kfintech.com को भेज सकते हैं.

iii. डाक मतपत्र की वैधता पर संवीक्षक का निर्णय अंतिम निर्णय होगा.

इस नोटिस में निर्दिष्ट संकल्पों के लिए ई-वोटिंग करने हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-मेल आईडी पंजीकृत कराने के लिए उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल आईडी डिपॉजिटरियों के पास पंजीकृत नहीं हैं:

1. यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं तो कृपया फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in पर भेजें.
2. यदि शेयर डिमैट स्वरूप में धारित हैं तो कृपया डीपीआईडी–सीएलआईडी (16 अंकीय डीपीआईडी+ सीएलआईडी अथवा 16 अंकीय लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर अथवा समेकित लेखा विवरण, पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in पर भेजें. यदि आप डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हैं तो आप उपर्युक्त टेबल में बताई पद्धति से लॉगिन करें.
3. विकल्प के तौर पर सदस्य ऊपर पैरा (1) अथवा (2) , जैसी स्थिति हो, में उल्लिखित विवरण उपलब्ध कराते हुए प्रयोक्ता आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए einward.ris@Kfintech.com पते पर अनुरोध ई-मेल भेज सकते हैं.

<u>तत्काल ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:</u>

1. कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 35 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 20 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 18(3) के साथ पठित धारा 101 की शर्तों के अनुसार, उन सभी सदस्यों, जिन्होंने आज की तारीख तक अपनी ईमेल–आईडी(यों) को बैंक के पास पंजीकृत/ अद्यतित नहीं किया है, से अनुरोध किया जाता है कि वे आईडीबीआई बैंक से इलेक्ट्रॉनिक रूप में महासभा की सूचना और/ या अन्य सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त ब्योरे हमें उपलब्ध कराएं.
2. दिनांक 20 अप्रैल 2018 के सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/डीओपी1/ सीआईआर/पी/2018/73 के अनुसार, जिसमें निर्गमकर्ता कंपनी और आरटीए को कागजी रूप में प्रतिभूति धारण करने वाले सभी प्रतिभूति धारकों के पैन कार्ड तथा बैंक खाते के ब्योरों की प्रति एकत्र करने के निर्देश दिये गए थे, बैंक के उन सभी शेयरधारकों जिनके पास शेयर कागजी स्वरूप में हैं, से अनुरोध है कि वे पहले जिस शेयरधारक का नाम दिया गया है उसके और अन्य सभी संयुक्त शेयरधारकों के पैन कार्ड की प्रति/प्रतियाँ और बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in पर उपलब्ध अपेक्षित फॉर्म में बैंक खाते के ब्योरे (यदि पहले प्रस्तुत न किए हों तो) प्रस्तुत करें. विधिवत भरा हुआ फॉर्म उसमें उल्लखित दस्तावेजों सहित उसमें दिये गए पते पर प्रस्तुत किया जाए. इससे सेबी के उपर्युक्त परिपत्र के अनुपालन और शेयरधारक/कों के अधिदेशित बैंक खाते में रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति जैसे ईसीएस [एलईसीएस (स्थानीय ईसीएस)/ आरईसीएस (क्षेत्रीय ईसीएस)/ एनईसीएस (राष्ट्रीय ईसीएस)], नेफ्ट आदि के माध्यम से लाभांश (यदि कोई घोषित किया गया हो) के भुगतान में सुविधा होगी.
3. दिनांक 03 नवंबर 2021 के सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 के अनुसार, सेबी ने आरटीए द्वारा निवेशक के सेवा अनुरोध को प्रोसेस करने और पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने की शर्तों को प्रोसेस करने के लिए सामान्य और सरलीकृत शर्तें निर्धारित की हैं. संबंधित प्रपत्रों के साथ उक्त परिपत्रों की प्रतियां आईडीबीआई बैंक की वेबसाइट https://www.idbibank.in/idbi-bank-investor.aspx और केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (केफिंटेक), अर्थात् बैंक के आरटीए की वेबसाइट www.Kfintech.com पर उपलब्ध है.

RTA's website https://evoting.kfintech.com or call at toll free no. 1800 309 4001. Any grievance relating to e-voting may be addressed to Mr. S V Raju, Deputy General Manager, at e-mail id: einward.ris@kfintech.com or evoting@kfintech.com.

iii. The Scrutinizer's decision on the validity of the Postal Ballot shall be final.

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of email ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) by email to idbiequity@idbi.co.in
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) to idbiequity@idbi.co.in. If you are an Individual shareholder holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained in table above.
3. Alternatively member may send an e-mail request to einward.ris@kfintech.com for obtaining User ID and Password by providing the details mentioned in Point (1) or (2) as the case may be.

<u>IMPORTANT NOTES FOR URGENT ATTENTION:</u>

1. In terms of Section 20 of the Companies Act, 2013 read with Rule 35 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 and Section 101 read with Rule 18(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Members, who have not registered / updated their e-mail id(s) with the Bank are requested, to kindly provide the said details in order to receive Notices of General Meetings and / or other communications from IDBI Bank in electronic form.
2. In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73 dated April 20, 2018, directing the issuer company and RTA to collect copy of PAN card and Bank Account details of all security holders holding securities in physical form, all Shareholders of the Bank who hold shares in physical form are requested to furnish the copy/ies of PAN card of first named shareholder & all joint shareholders and furnish Bank account details (if not already furnished) in the requisite form, which is available on Bank's website www.idbibank.in. Duly filled in form, along with the documents mentioned therein, may please be submitted to the addresses provided therein. This will facilitate compliance of SEBI's aforesaid circular and payment of dividend (declared, if any) through RBI approved Electronic mode of payment such as ECS [LECS (Local ECS) /RECS (Regional ECS) / NECS (National ECS)], NEFT etc., in the mandated Bank Account of the Shareholder/s.
3. In terms of Circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021, SEBI has laid down common and simplified norms for processing investor's service request by RTAs and norms for furnishing PAN, KYC details and Nomination. Copies of the said Circulars together with relevant forms are available on the website of IDBI Bank at https://www.idbibank.in/idbi-bank-investor.aspx and that of Kfin Technologies Limited (Kfintech), viz. RTA of the Bank at www.kfintech.com.

   Accordingly, it is in your interest to submit the KYC documents and update nominee details as mandated in the above mentioned circular. Folios wherein any one of the KYC details or nominee details are not available on or after 1st April, 2023, shall be frozen

तद्‌नुसार, केवाईसी दस्तावेज़ जमा करना और उपर्युक्त परिपत्र में अधिदेश के अनुसार नामिती विवरण को अद्यतित करना आपके हित में है. फोलियो, जिसमें 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद केवाईसी विवरण या नामिती विवरण में से कोई एक उपलब्ध नहीं होगा, को उक्त परिपत्रों की शर्तों के अनुसार केफिंटेक/ आईडीबीआई बैंक द्वारा फ्रीज़ कर दिया जाएगा. केफिंटेक/ आईडीबीआई बैंक द्वारा फ्रीज़ किए गए फोलियो को बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/ या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन प्रशासन प्राधिकारी को भेज दिया जाएगा, यदि वे 31 दिसंबर 2025 तक फ्रीज़ रहते हैं.

4. सेबी दिशानिर्देश सभी शेयरधारकों को अपने शेयर डीमैट स्वरूप में रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. शेयरधारक/(कों), जिनके शेयर भौतिक स्वरूप में हैं, से अनुरोध है कि वे सेबी द्वारा पंजीकृत किसी भी डिपॉजिटरी भागीदार के पास डीमैट खाता खुलवाने के बाद अपनी शेयरधारिता को भौतिक स्वरूप से डीमैट स्वरूप में शीघ्र परिवर्तित करवा लें.

डाक मतपत्र सूचना में दिए गए विशेष कारोबार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

मद सं. 01:

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने 2019 में आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में 51% हिस्सेदारी खरीदी थी. एलआईसी द्वारा बैंक में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की उम्मीद के साथ बैंक ने अपनी अधिकृत शेयर पूंजी को 25000 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया था. एलआईसी द्वारा अधिग्रहण-पश्चात तथा दिसंबर 2020 में अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) जारी करने बाद बैंक की चुकता पूंजी 10752.40 करोड़ रुपए तक बढ़ गई और यह स्तर अभी तक यथावत बना हुआ है. इसके अलावा, यह महसूस किया गया था कि निकट भविष्य में बैंक में पूंजी लगाने की आवश्यकता होगी और तदनुसार चुकता पूंजी में वृद्धि दर्ज होगी. हालांकि, मार्च 2020 को समाप्त तिमाही में ही बैंक का टर्नअराउंड हो गया, इसलिए और पूंजी जुटाने की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं पड़ी. मौजूदा समय में बैंक निकट भविष्य में किसी प्रकार की और पूंजी लगाने की योजना नहीं बना रहा है.

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12(1)(i) के प्रावधानों के अनुसार बैंक की अभिदत्त तथा चुकता पूंजी बैंक की प्राधिकृत शेयर पूंजी के आधे से कम नहीं होगी. चूंकि, बैंक की निर्गमित, अभिदत्त तथा पूंजी 107524021750/- रुपए है, अत: बैंक की प्राधिकृत शेयर पूंजी 215048043500/- रुपये से अधिक नहीं होगी. इसलिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 12(1)(i) के अनुपालन के क्रम में, बैंक की 25000 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी जो कि 10 रुपए प्रत्येक के कुल 2500,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है, को घटाकर 21000 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी जो कि 10 रुपए प्रत्येक के कुल 2100,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित होगी, तक किया जाना प्रस्तावित है. यह कमी जारी न किए गए शेयरों को रद्द करके 10 रुपये प्रत्येक के 400,00,00,000 इक्विटी शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाली 4000 करोड़ रुपये की राशि तक प्राधिकृत शेयर पूंजी को और कम करके किया जाएगा. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 61 के तहत शेयरों को रद्द किए जाने का प्रस्ताव शेयरधारकों के अनुमोदन और अन्य वैधानिक और विनियामक अनुमोदनों, यदि कोई हों, के अधीन है. प्राधिकृत शेयर पूंजी में उपर्युक्त कमी के कारण संस्था के बहिर्नियम के खंड V और संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 3 में संशोधन किया जाना अपेक्षित हो जाता है.

इसके साथ ही, बैंक के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 10(सी) के साथ पठित अधिनियम की धारा 61(1)(ई) के प्रावधानों के अनुसार, एक विशेष संकल्प के माध्यम से सदस्यों के अनुमोदन के साथ, बैंक अपने संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम को परिवर्तित करके और उन शेयरों को, इस निमित्त जिस तारीख को संकल्प पारित किया जा रहा हो, उक्त तारीख को, जिन्हें किसी व्यक्ति द्वारा न तो लिया गया है और न ही उन्हें लेने के लिए कोई सहमत है, रद्द करने के लिए अधिकृत है और शेयरों को इस प्रकार रद्द कर शेयर पूंजी की राशि में यह कमी, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, कंपनी अधिनियम, रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों या लागू अन्य विधियों के अनुपालन के अधीन की गई है. प्रस्तावित रद्दीकरण से मौजूदा शेयरधारकों या किसी अन्य हितधारकों के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह ऐसे शेयरों का रद्दीकरण है जिन्हें जारी नहीं किया गया है और ये अप्रयुक्त हैं.

निदेशक मंडल नोटिस की मद सं. 1 में निहित सामान्य संकल्प को पारित करने की सिफ़ारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) की शर्तों के अनुसार, उल्लेखनीय है कि बैंक का कोई भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं.

by Rfintech / IDBI Bank in terms of the said Circulars. The frozen folios will be referred by Kfintech / IDBI Bank to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if they continue to remain frozen as on 31st December, 2025.

4. SEBI guidelines encourage all shareholders to hold their shares in Demat form. The shareholder/s, who hold their shares in physical form are requested to convert their shareholdings from physical form to Demat form at the earliest, after opening a Demat Account with any SEBI registered Depository Participant.

Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of the Special Business given in the Postal Ballot Notice

Item No. 1:

Life Insurance Corporation of India (LIC) had acquired 51% stake in IDBI Bank Limited in 2019. Anticipating a large capital infusion by LIC, the Bank had increased its authorized share capital to Rs. 25000 crore. Post-acquisition by LIC and Qualified Institutional Placement (QIP) issue in December 2020, the paid-up capital of the Bank augmented to Rs.10752.40 crore and has remained unchanged till date. Further, it was felt that Bank may require infusion of capital in the near future and this would accordingly increase the paid up capital. However, since the Bank turnaround happened in the quarter ended March 2020 itself, there was no immediate requirement to raise further capital. Presently, the Bank is not envisaging any capital infusion in near future.

In terms of the provisions of Section 12(1)(i) of the Banking Regulation Act, 1949 (BR Act), the subscribed and paid-up share capital of the Bank shall not be less than one-half of the Authorised share capital of the Bank. Since, the issued, subscribed and paid up capital of the Bank is Rs. 10752,40,21,750/-, the Authorised share capital of the Bank shall not be more than Rs.21504,80,43,500/-. Therefore in order to comply with the provisions of Section 12(1)(i) of the BR Act, it is proposed to reduce the Authorized Share Capital of the Bank from Rs.25,000 crore divided into 2500,00,00,000 equity shares of Rs. 10/- each to Rs.21,000 crore divided into 2100,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each by cancelling shares which have not been issued and diminishing the amount of Authorised share capital by an amount of Rs.4,000 crore representing 400,00,00,000 equity shares of Rs.10 each. The proposed cancellation of shares under Section 61(1)(e) of the Companies Act, 2013 is subject to shareholders' approval and other statutory and regulatory approvals, if any. The aforesaid reduction of Authorised Share Capital necessitates amendment to Clause V of the Memorandum of Association and Article 3 of the Articles of Association of the Bank.

Further, in terms of the provisions of Section 61(1)(e) of the Companies Act, 2013 read with Article 10(c) of Articles of Association, with the approval of members by way of a special resolution, the Bank is authorised to alter its memorandum and articles to cancel shares which, at the date of the passing of the resolution in that behalf, have not been taken or agreed to be taken by any person, and diminish the amount of its share capital by the amount of the shares so cancelled, subject to compliance with the Banking Regulation Act, the Companies Act, the RBI Guidelines or any other Rules under Applicable Law. The proposed cancellation will not have any effect on the rights of existing shareholders' or any other stakeholders since it is a cancellation of the share capital which has not been issued and remained unutlilised.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as contained at Item No.1 of this notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

मद सं. 02:

श्री सुरेश किशिनचंद खटनहार (डीआईएन: 03022106) को 15 जनवरी 2020 से तीन वर्ष की अवधि के लिए डीएमडी एवं डब्ल्यूटीडी तथा आवर्ती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था. श्री खटनहार का अनुमोदित कार्यकाल 14 जनवरी 2023 को समाप्त होगा.

नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) और बोर्ड का अभिमत था कि श्री खटनहार को बैंक के डीएमडी एवं डब्ल्यूटीडी के रूप में उस समय नियुक्त किया गया था जब बैंक को पीसीए के अंतर्गत रखा गया था और उस अवधि के दौरान, एक रणनीति के रूप में बैंक ने रिटेल बैंकिंग मॉडल को अपनाया और रिटेल बैंकिंग के डीएमडी के रूप में उन्होंने पीसीए से बाहर आने वाले बैंक के दृष्टिकोण, दिशा और कारोबार मॉडल की अगुवाई की तथा मॉडल सुस्थापित और मापनीय रहा है. इस प्रकार, एनआरसी ने 12 अगस्त 2022 को संपन्न अपनी बैठक में उस पर विचार किया और बोर्ड को 15 जनवरी 2023 से और एक वर्ष की अवधि के लिए आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी डीएमडी के रूप में श्री खटनहार की पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव को उसके अनुमोदन हेतु सिफ़ारिश की. एनआरसी की सिफ़ारिश के अनुसरण में, बोर्ड ने 26 अगस्त 2022 को आयोजित अपनी बैठक में श्री सुरेश खटनहार की 15 जनवरी 2023 से एक वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव को अभिपुष्ट किया और इस संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को उनके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने की सिफ़ारिश की. भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 22 दिसंबर 2022 के अपने पत्र के जरिए उक्त पुनर्नियुक्ति को अनुमोदित किया और निदेशक मंडल ने दिनांक 28 दिसंबर 2022 को संपन्न अपनी बैठक में बैंक के सदस्यों के अनुमोदन के अधीन श्री खटनहार की 15 जनवरी 2023 से एक वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति को अनुमोदित किया.

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एनआरसी और बोर्ड द्वारा अनुमोदित पारिश्रमिक के रूप में श्री खटनहार को देय पारिश्रमिक का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है और यह आरबीआई के अनुमोदन के अधीन है -

विवरण	**राशि (रु .)**
I. नियत वेतन	
वेतन	67,65,000
परिलब्धियां*	13,59,000
भविष्य निधि	6,76,500
उपदान	2,81,875
छुट्टी किराया रियायत/ भत्ता	6,00,000
कुल नियत वेतन	**96,82,375**
II. परिवर्ती वेतन ^	
नकद घटक	38,72,950
शेयर संबद्ध घटक (ईएसओपी/ ईएसओएस/एसएआर) / ईएसओपी और ईएसओएस के बदले नकद घटक	77,45,900
कुल परिवर्ती वेतन	**1,16,18,850**
कुल प्रतिकर (I+II)	**2,13,01,225**

* परिलब्धियों में नि:शुल्क सुसज्जित घर एवं उसके रखरखाव तथा क्लब की सदस्यता का प्रावधान शामिल है;
^ परिवर्ती वेतन के दो घटक अर्थात् नकद घटक और ईएसओपी के बदले नकद घटक हैं. नकद घटक जो कुल परिवर्ती वेतन का १/३ है, ५०% का एक अग्रिम हिस्सा है और शेष राशि ३ वर्ष की अवधि (मंजूरी की तारीख से १ वर्ष, २ वर्ष और ३ वर्ष के बाद क्रमशः १२.५%, १२.५% और २५% देय है) के लिए आस्थगित है. ईएसओपी के बदले में नकद घटक, जो कुल परिवर्ती वेतन का २/३ है, में कोई अग्रिम घटक नहीं है और ४ वर्ष की अवधि (मंजूरी की तारीख से १ वर्ष, २ वर्ष और ३ वर्ष एवं ४ वर्ष के बाद क्रमशः १५%, २०%, ३०% और ३५% देय है) के लिए आस्थगित है. ईएसओएस/एसएआर के रूप में गैर-नकदी घटक का कोई अग्रिम भुगतान नहीं है और ३ वर्ष की अवधि (मंजूरी की तारीख से १ वर्ष, २ वर्ष एवं ३ वर्ष के बाद क्रमशः २५%, २५% और ५०% देय है) के लिए आस्थगित है.
नोट : वित्त वर्ष २०२२-२३ के लिए देय पारिश्रमिक हेतु आरबीआई का अनुमोदन लंबित है.]

एसएस-2 और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित विवरण इस नोटिस के अनुबंध के रूप में प्रदान किए गए हैं.

श्री सुरेश खटनहार का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

Item No. 2:

Shri Suresh Kishinchand Khatanhar (DIN: 03022106) was appointed as DMD & WTD and rotational director for a period of three years w.e.f. January 15, 2020. Approved tenure of Shri Khatanhar ends on January 14, 2023.

The Nomination and Remuneration Committee (NRC) and the Board were of the view that Shri Khatanhar was appointed as the DMD & WTD of the Bank when the Bank was placed under PCA and during that period, as a strategy, Bank adopted Retail Banking Model and as the DMD of Retail Banking, he spearheaded the Bank's vision, direction and business model leading to the Bank coming out of PCA and the model has been well established and scalable. Thus, the NRC at its meeting held on August 12, 2022 considered and recommended to the Board for their approval, the proposal for re-appointment of Shri Khatanhar as the DMD of the Bank for a further period of one year w.e.f. January 15, 2023, liable to retire by rotation. Pursuant to the recommendation of the NRC, Board at its meeting held on August 26, 2022 ratified the proposal for re-appointment of Shri Suresh Khatanhar for a period of one year w.e.f. January 15, 2023 and recommended for submission to the RBI for their approval under section 35B of the Banking Regulation Act, 1949. Further, RBI vide their letter dated December 22, 2022 approved the aforesaid re-appointment and the Board at its meeting held on December 28, 2022 approved the re-appointment of Shri Khatanhar for a period of one year w.e.f. January 15, 2023, subject to approval of the members of the Bank.

The remuneration payable to Shri Khatanhar for FY 2022-23 as approved by NRC and Board, is as detailed below and is subject to approval of the RBI-

Particulars	**Amount (Rs.)**
I. Fixed pay	
Salary	67,65,000
Perquisites*	13,59,000
Provident fund	6,76,500
Gratuity	2,81,875
Leave Fare Concession/ Allowance	6,00,000
Total Fixed Pay	**96,82,375**
II. Variable Pay^	
Cash Component	38,72,950
Share Linked Component (ESOP /ESOS/SAR) / Cash Component in lieu of ESOP & ESOS	77,45,900
Total Variable Pay	**1,16,18,850**
Total Compensation (I+II)	**2,13,01,225**

* *Perquisites includes provision of free furnished house & its maintenance and club membership;*
^ Variable Pay has two components viz. Cash component and Cash component in lieu of ESOPs. The Cash Component, which is 1/3rd of the Total Variable Pay, has an upfront portion of 50% and balance is deferred over a period of 3 years (12.5%, 12.5% & 25% payable after 1 year, 2 years and 3 years respectively from the date of grant). The Cash Component in lieu of ESOPs, which is 2/3rd of the Total Variable Pay, has no upfront component and is deferred over a period of 4 years (15%, 20%, 30% & 35% payable after 1 year, 2 years, 3 years & 4 years respectively from the date of grant). Non-cash component in form of ESOP/SARs, has no upfront payment and is deferred over a period of 3 years (25%, 25% & 50% payable after 1 year, 2 years & 3 years respectively from the date of grant).
Note: The RBI Approval for remuneration payable for FY 2022-23 is pending.]

The details as required under SS-2 and SEBI Listing Regulations have been provided as Annexure to this notice.

The brief profile of Shri Suresh Khatanhar is provided hereinafter:

श्री सुरेश खटनहार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, नई पीढ़ी के निजी क्षेत्र के बैंक और यूनिवर्सल बैंक में वाणिज्यिक बैंकिंग के लगभग सभी क्षेत्रों में कुल 38 वर्ष का अनुभव रखने वाले करियर बैंकर हैं. उन्होंने देना बैंक के साथ अपना बैंकिंग करियर शुरू किया था और शाखा बैंकिंग, ऋण मूल्यांकन/ निगरानी, तनावग्रस्त खातों जैसे दायित्वों को संभाला तथा बीआईएफआर/ एएआईएफआर सुनवाई में बैंक का प्रतिनिधित्व किया और बैंक के केंद्रीकृत मानव संसाधन विभाग में मानव संसाधन से संबंधित सभी कार्य संभाले. उसके पश्चात् वे वरिष्ठ संबंध प्रबंधक के रूप में आईडीबीआई बैंक में नियुक्त हुए और मुख्य महाप्रबंधक एवं प्रमुख-आंतरिक लेखापरीक्षा, मुख्य जोखिम अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी सहित विभिन्न क्षमताओं में संस्था में अपनी सेवाएं दीं. कार्यपालक निदेशक के रूप में, उन्हें बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र व्यवसाय वर्टिकल के प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. बैंक पहली बार बैंक के लिए निर्धारित पीएसएल लक्ष्यों को प्राप्त कर सका. इसके अलावा उन्होंने 4 बड़े अंचलों की रिटेल बैंकिंग की जिम्मेदारी भी संभाली. इसके पश्चात् उन्हें कॉर्पोरेट बैंकिंग व्यवसाय के साथ-साथ बैंक के व्यापार वित्त व्यवसाय का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई. इसके अलावा उन्हें ऋण निगरानी समूह की स्थापना की जिम्मेदारी सौंपी गईं और बैंक में दो ईडब्ल्यूएस पैकेज के विकास और कार्यान्वयन में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. अतिरिक्त प्रभार के रूप में इन्होंने बैंक की ओवरसीज शाखा (डीआईसीएफ़) सहित बड़ी कॉर्पोरेट शाखाओं को संभाला. खुदरा बैंकिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बैंक की दृष्टि, दिशा और व्यवसाय मॉडल का नेतृत्व करने के लिए उन्हें उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) के रूप में नियुक्त किया गया था. वर्तमान में, वे रिटेल आस्तियां, क्रेडिट कार्ड्स, अन्य पक्ष वितरण और एलआईसी गठजोड़; खुदरा देयताएं, बीओएसपीडी एवं करेंसी चेस्ट; प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र समूह और वित्तीय समावेशन; ट्रेजरी और अंतर्राष्ट्रीय उधार; ऋण निगरानी समूह; खुदरा संग्रह और वसूली, लेखा परीक्षा, विधि, केंद्रीकृत परिचालन, कॉर्पोरेट रणनीति एवं योजना और प्रशासन संभाल रहे हैं.

निदेशक मंडल सूचना की मद सं. 2 में दिए गए अनुसार सामान्य संकल्प को पारित करने की सिफ़ारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार यह भी उल्लेखनीय है कि आईडीबीआई बैंक का कोई भी निदेशक (स्वयं श्री सुरेश खटनहार को छोड़कर) या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प को पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं. श्री सुरेश खटनहार का किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक अथवा बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक से कोई संबंध नहीं है.

Shri Suresh Khatanhar is a career banker with a total experience of 38 years in almost all areas of commercial banking in Public Sector Bank, New Generation Pvt. Sector Bank and Universal Bank. He started his banking career with Dena Bank and handled branch banking, Credit Appraisal/ Monitoring, Stressed Accounts, represented the Bank at BIFR/AAIFR hearings and handled all HR related work at centralized HR department of the Bank. Later, joined IDBI Bank as Senior Relationship Manager and served the organization in various capacities including as CGM & Head-Internal Audit, Chief Risk Officer and Chief Compliance Officer. As Executive Director, he was assigned the responsibilities to head Priority Sector business vertical of the Bank. The Bank could achieve the PSL targets for the first time in the Bank. Additionally, handled the responsibility of Retail Banking of 4 large zones. Subsequently was entrusted with responsibility of spearheading the Corporate Banking Business as well as Trade Finance Business of the Bank. Additionally the responsibility of establishing Credit Monitoring Group was assigned; he was instrumental in development and implementation of the two EWS Package at the Bank. As an additional charge, handled large corporate branch including Overseas Branch (DIFC) of the Bank. To drive the Retail Banking Business, he was appointed as DMD to spearhead the Bank's vision, direction and business model. Presently, he is handling Retail Assets, Credit Cards, Third Party Distribution & LIC Synergy; Retail Liabilities, BOSPD & Currency Chest; Priority Sector Group & Financial inclusion; Treasury & International Borrowing; Credit Monitoring Group; Retail Collection & Recovery, Audit, Legal, Centralized Operations, Corporate Strategy & Planning and Administration.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained in Item No.2 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than Shri Suresh Khatanhar himself) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank. Shri Suresh Khatanhar is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank.

सूचना के लिए अनुबंध

<u>सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 36(3)(क) और सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों-2 के अनुसार विवरण</u>

निदेशक का नाम	**श्री सुरेश किशिनचंद खटनहार**
पदनाम	उप प्रबंध निदेशक एवं पूर्णकालिक निदेशक
जन्म तारीख / आयु	25.08.1963 59 वर्ष
प्रथम नियुक्ति की तारीख	15 जनवरी 2020
शैक्षणिक योग्यताएं	एम. कॉम, सीएआईआईबी तथा आईसीडब्ल्यूए
विशेषज्ञता	लेखा-शास्त्र, बैंकिंग, वित्त, जोखिम, आईटी, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था और लघु उद्योग, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन.
अन्य संस्थाओं में निदेशक पद	1. आईडीबीआई इंटेक लि. – निदेशक एवं अध्यक्ष
सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जिनसे निदेशकों ने पिछले 3 वर्षों में इस्तीफा दिया है, यदि कोई हो	कोई नहीं
अन्य संस्थाओं की समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता	कुछ नहीं
निदेशक की शेयरधारिता	24,200 शेयर
निदेशकों के बीच परस्पर संबंध	कुछ नहीं
नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति के निबंधन और शर्तें	डीएमडी एवं डब्ल्यूटीडी की पुनर्नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196, 197, 203 और अनुसूची V में निर्दिष्ट किए अनुसार हैं. बैंक के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार उप प्रबंध निदेशक निदेशक मंडल अथवा प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित की जाने वाली शक्तियों तथा प्राधिकारों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कार्य करेंगे जो बैंक के एमडी एवं सीईओ के पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण के अधीन होंगे.
पारिश्रमिक	डीएमडी को देय पारिश्रमिक एनआरसी एव बोर्ड द्वारा की गई संस्तुति तथा आरबीआई द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन अनुसार होगा.
नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति के लिए औचित्य और इस भूमिका के लिए अपेक्षित कौशल एवं क्षमताएं तथा ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने की पद्धति जिन्हें प्रस्तावित स्वतंत्र निदेशक पूरा करते हैं.	लागू नहीं
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आज की तारीख तक सहभागिता की गई बोर्ड बैठकों की संख्या (आयोजित/ जिनमें सहभागिता की गई)	8/8

Annexure to the notice

Details pursuant to Regulation 36(3)(a) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Secretarial Standard-2 on General Meetings

Name of Director	**Shri Suresh Kishinchand Khatanhar**
Designation	Deputy Managing Director and Whole time Director
Date of Birth/ Age	25.08.1963 59 years
Date of first appointment	January 15, 2020
Qualification	M.Com, CAIIB and ICWA
Expertise	Accountancy, Banking, Finance, Risk, IT, Agriculture & Rural Economy and Small Scale Industry, Business Management, Administration and Corporate Governance.
Directorship in other entities	1. IDBI Intech Ltd – Director & Chairman
Names of listed Entities from which the Directors has resigned in last 3 years, if any	None
Membership / Chairmanship in Committees of other entities	Nil
Shareholding of Director	24,200 shares
Relationship between directors inter-se	Nil
Terms and Conditions of Appointment/Re-appointment	Terms and conditions for Re-appointment of DMD & WTD are as provided in Section 35B of Banking Regulation Act, 1949, Sections 196, 197, 203 and Schedule V of the Companies Act, 2013. As per the Articles of Association of the Bank, the DMDs shall exercise such powers and authorities and discharge such functions as may be delegated to them by the Board or the MD & CEO, subject to the supervision, direction and control of the MD & CEO of the Bank.
Remuneration	Remuneration payable to DMD would be as recommended by the NRC & Board and approved by the RBI.
Justification for Appointment/ Reappointment and skills & cap abilities required for the role and the manner in which the proposed Independent Directors meets such requirements.	Not Applicable
Number of Board meetings attended till date of FY 2022-23 (Held/Attended)	8/8